क्रम-संख्या—268

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 6 अक्तूबर, 2001

आश्विन 14, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 2463/सत्रह–वि–1–1 (क) 35-2001

लखनऊ, 6 अक्तूबर, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन, राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2001)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा।

(2) यह 19 सितम्बर, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 171 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 171 में, उपधारा (2) में,–

(क) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(ङ) भाई, जो मृतक के पिता का पुत्र हो, और पूर्व मृत भाई का पुत्र, जब पूर्व मृत भाई मृतक के पिता का पुत्र हो।"

(ख) खण्ड (झ) निकाल दिया जाएगा।

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 200 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वार यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 171 में उत्तराधिकारी के सामान्य क्रम की यह व्यवस्था है कि जब कोई पुरूष भूमिधर या असामी मर जाता है तब उसके खाते में उसके स्वत्व का उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार उक्त धारा 171 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उसके उत्तराधिकारियों को न्यागत हो जायगा। उक्त धारा 171 की उपधारा (2) में ऐसे भाई जो उसी पिता का पुत्र है जिसका मृतक है, को मृतक खातेदार के पूर्व मृत भाई के पुत्र की तुलना में अधिमानी उत्तराधिकारी के रूप में दर्शाया गया है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि पूर्वमृत भाई के पुत्र को उत्तराधिकार का अधिकार भाई के साथ-साथ देने की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव, राज्यपाल द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2001 को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2001) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 2463 (2)XVII-V-1--1 (KA) 35-2001

Dated Lucknow, October 6, 2001

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zamindari Vinash Aur Bhumi Vyawastha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 35 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 5, 2001.

THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS (AMENDMENT) ACT, 2001

(U.P. Act No. 35 of 2001)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 2001. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on September 19, 2001.

Amendment of section 171 of U.P. Act no. I of 1951

2. In section 171 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 hereinafter referred to as the principal Act in sub-section (2),—

(a) for clause *(e)* the following clause shall be *substituted*, namely :—

"*(e)* brother, being the son of the same father as the deceased, and son of a predeceased brother, the predeceased brother having been son of the same father as the deceased."

(b) Clause *(i)* shall be *omitted*.

U.P. Ordinance no. 19 of 2001

Repeal and savings

3. (1) The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Ordinance, 2001 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 171 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 Provides for general order of succession, when a bhumidhar or asami being a male dies. His interest in his holding devolves upon his hiers specified in sub-section (2) of the said section 171 in accordances with the principles specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of the said section. In sub-section (2) of the said section 171 brother being the son of the same father as the deceased, has been shown to as a preferantial heir of the deceased tenure holder in companion to the son of a predecessased brother It has, therefore, been decided that the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 be amended to provide for the right of succession also in favour of the son of a predeeased brother alongwith with the brother.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the abaresaid decision, the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Ordinance, 2001 (U.P. Ordinance no. 19 of 2001) on September 19, 2001.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 440 राजपत्र (हिन्दी)–(1172)–2001–597–(कम्प्यूटर / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 178 सा० विधा०–(1173)–2001–850–(कम्प्यूटर / आफसेट)।